ब्यूटीपार्लर और ज़ैब व ज़ीनत के मसाईल।

मुअल्लीफ
मुफ्ती इमरान इस्माईल मेमन
उस्तादे दारुल उलूम रामपुरा सुरत

फेहरिस्ते मझामीन

म्सअला नंबर		पेज नंबर
१	पेश ए लफ्ज	४
२	ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप कराने के नुकसानात मुकम्मल मेसेज।	७
३	छोटी लड़की के बाल काटना।	९
४	आइब्रो बनाना।	१०
५	आइब्रो लगाना।	१२
६	वैक्स लगाने का हुक्म।	१२
७	सफेद बाल चुनना।	१३
८	औरत के लिए फटे हुवे बालों का काटना।	१४
९	बालों पर कलर लगवाना और गुसल का हुकम।	१४
१०	बालों को ब्लीच करवाना या निकाल देना।	१६
११	लिपस्टिक लगाना केसा हे।	१७
१२	बाल बढ़ाने की निय्यत से औरतों का बाल कटवाना।	१८

१३	न्यू हेयर कलर का हुकम।	१८
१४	केमिकल की मेहँदी के इस्तिमाल की सूरत में वुज़ू व ग़ुस्ल का हुक्म।	२०
१५	जाइज़ नाजाइज़ मेहँदी-ख़िज़ाब।	२२
१६	हाथ पर मेहंदी लगाना।	२३
१७	मेहदी लगाने में अपने मेहरम का नाम हाथ पर लिखने का हुक्म।	२४
१८	बनावटी बाल लगाने का हुक्म।	२५
१९	हेयर ट्रांसप्लांट - सर में बाल फिट करने का और उस पर ग़ुस्ल का हुकम।	२६
२०	बालों का जोड़ा बाँधना।	२७
२१	मांग निकालने की सुन्नत।	२८
२२	ब्यूटी पार्लर की कमाई।	२९
२३	लम्बे नाखून का हुक्म।	३०
२४	औरतों के लिए आर्टिफीसियल अंगूठी।	

पेश ए लफ्ज़

अल्हमदुलिल्लाह मसाइल का सिलसिला "आज का सवाल " के उनवान से ८ आठ साल से जारी है इस में तेहवार,हालत और मव्के की मुनासिबत से भी मसाइल आते रहते है। और थोड़ा थोड़ा कर के एक ही मवजू पर बहोत से मसाइल को अल्लाह ने जमा करा दिया है। इसी तरह पैगाम व मसाईल के नाम से भी कुर्आन ए करीम की अक्सर आयतों की तफ़सीर लिखने का सिलसिला “ सुरए फातिहा ” से अल्लाह तआला ही की तौफीक से शुरुअ किया था , जो पोने तीन पारे तक, तकरीबन ३०० आयात तक अल्हम्दुलिल्लाह पोंहचा है, और उस के अलावा जो आयतें मवका महल के ऐतिबार से होती है, उस की तफ़सीर भी लिख दी गई है।

मावजूअ की तमाम आयतों को घेरना मक़सूद नहीं, उसे में से मसाईल की मुनसबत से आयत का इंतिख़ाब कर के किताब में रख

दी गई है, ताकी मसाईल के साथ साथ क़ुरान ए करीम की भी रहनुमाई हसिल हो।

बाज दोस्तों ने खाहिश की के इन मसाइल को पी.डी.एफ. की शकल में जमा कर के शोशयल मीडिया पर आम कर दिया जाए ताके लोगों का फायदा उठाना और फाइदा पहुंचाना आसान हो जाए । लिहाजा अल्लाह पर तवक्कुल कर के ये काम शुरू कर दिया गया है। अल्हम्दु लिल्लाह।

दुआ फरमाए अल्लाह तआला इस सिलसिले को दिन के हर मावजूअके एअतेबारसे मुकम्मल फरमाए। और बंदे और बंदे वालीदैन, असातीजाह, खुसूसन बंदे के पिरो मुर्शीद हजरत मुफ्ती अहमद खान पूरी दामत बरकातुहुम ये खिदमात उन की तवज्जुह और दुआ का नतीजा है।(अल्लाह उन के साए को हम पर और उम्मत पर आफियत के साथ ता देर काईम रखे) (आमीन सुम्मा आमीन)।

और तरजमे में तावून करने वाले मेरे दोस्तों के हक में सदह ए जारिया और नजात का जरिया बनाए। (आमीन सुम्मा आमीन)।

आगर किसी को ये रिसाला चपवाना हो, तो इस्तेमाल करें, और छपवाकर ना चीज की तरफ से " मुफ्त तकसीम करने " और " फारोख्त करने " की मुक्कम्मल इज्जत है।

अखीर में नाजीरीन से दरखास्त है के उस में कोई गलती मालुम हो या कोई मुफीद मशवरा तो बंदे मूततले करे जजाकल्लाह।

:: अहकर::

इमरान इस्माइल मेमन।

+९१ ९६८७३ ४१४१३

२६ शव्वालुल मुकार्रम १४४४ हिजरी

८ मार्च – २०२४।

♦ ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप कराने के नुकसानात मुकम्मल मेसेज।

अस्सवाल

➢ कया औरतें शादी के मौके पर ब्यूटी पार्लर में जा कर मेकअप करवा सकती है?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए नए निकले हुवे फैशन अपनाने से औरतों के चेहरे,ज़िस्म और बालों का क़ुदरती हुस्न ख़त्म हो जाता है और उस के बहुत से नुक़सानात भी होते है।

इस सिलसिले में काहिरह-मिस्र मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मुनीम साहब का मज़मून बड़ी फ़िक्र बढाने वाला है ,वोह लिखते है:"ईस तरह ब्यूटी पार्लर जाकर बालों की सेटिंग कराना,यूरोप के फेशन के लिहाज़ से मुख़तलिफ़ रंगों से उन्हें रंगना,बालों को झरने और उन के अन्दर स्टाइल देने के लिए अलग अलग बनावटी तरीक़े इस्तिमाल करना और रासायनिक दवा का इस्तिमाल करना जीन में ऐसे केमिकल भी होते है जो बालों को सख्त नुक़्सान देने वाले होते है ।

किसी भी औरत को ऐसी चीज़ का इस्तिमाल मुनासिब नहीं क्यूँ के ये बालों के लिए सख्त नुक़्सान देने वाला है ख़वातीन को ऐसे मेकअप से बचना चाहिये।

हमारी बहुत सी औरतों को ये मालूम भी नहीं है के उन के सर के बालों को खींच तांन करने के क्या क्या नुक़सानात है?
क्यूँ के बालों को खींच तान करने का मतलब ये है के उन की जड़ों पर ज़ोर डाला जाये और खून की खास मिक़्दार को जड़ों में न पहुंचने दिया जाये, जिससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, और बाल जल्दी गिर जातें है।

जिस का नतीजा ये होता है के ब्यूटी पार्लर में फेसियल, हेयर कटिंग, थ्रीडिंग, वेक्सिंग, ब्लीचिंग करवा कर आईब्रो और उपरलोज बनवा कर बनठन कर निकलने वाली औरतें चंद दिनों तक बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके बाद ज्यों ज्यों उसका असर ख़त्म होता जाता है फिर २५ साल की लड़की ४० साल अगर नहीं लगती तो ५० साल की ज़रूर लगती है।

और गुनाह का ये असर ज़रूर होता है के शोहर के दिल में मुहब्बत की जगह नफरत बेठती रहती है।

ब्यूटी पार्लर में जाकर ऐसी बेहया, बे शर्म और गुनेहगार औरतों से अपने को सँवारना और तैयार करना मुसलमान औरतों के लिए किसी तरह भी मुनासिब नहीं, बल्कि घर पर ही जो कुछ हो सके उस से अपने को सँवारना चाहिये, उसी में दुनिया और आख़िरत दोनों जहाँ की भलाई और क़ामयाबी है।

झब ओ ज़ीनत कीजिये, ज़रूर कीजिये,लेकिन उस में इतना भी हद्द से आगे न बढिये के अपने बजट का भी ख़याल न रहे, और अपने वालिद या शौहर के खून पसीने की कमायी बे दर्दी से बर्बाद कर दें।

📘 **औरतों के लिए बनाव सिंघार के शरई अहकाम सफा १८ से २०।**

📗 **इस्लाहे मुआशरा सफा ११५।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ छोटी लड़की के बाल काटना।

अस्सवाल

➢ लड़की के बाल बड़े है वह बाल की देखभाल सहीह तरीक़ह से नहीं कर सकती लिहाज़ा कितने साल की लड़की के बाल काट कर छोटे कर सकते है ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

मज़कूरा सूरत में नव साल से कम की उम्र की लड़की के बाल काट कर छोटे कर सकते है.

📗 **बनाव सिंगार के अहकाम सफा २४।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ आइब्रो बनाना।

अस्सवाल

- अगर शोहर बीवी से भंवें-आइब्रो बनाने पर ज़िद करे तो बीवी के लिए शोहर की रज़ामंदी के लिए भंवें बनाना जाइज़ है ?
- औरतों का भंवें -आइबरो बनाना (उसे बारीक़ करना, उस के बाल काटना) कैसा है ?
- मेरी आईब्रो बहुत मोटी है जो देखने में बड़ी खराब लगती है तो मैं बारिक का इस्तेमाल कर सकती हूं?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

अगर भँवों के बाल ज़यादा होने की वजह से बदनुमा -ख़राब मालूम होते हो तो मुनासिब अंदाज़ में उस को दुरुस्त करने में कोई हरज नहीं, लेकिन फाहिश-बाज़ारी औरतों की तरह उस को (बारीक़) करने की इजाज़त नहीं (ऐसी औरतों पर हदीस में लानत आयी है)। 📗 **किताबुंन नवाज़ील १५/४७५।**

भंवें बनाने वाली और बनवाने वाली दोनों पर हदीस शरीफ में लानत आयी है लिहाज़ा ये काम जाइज़ नहीं.

📘 **फतावा बराए ख़वातीन २/५२२ बहवाला।**

📗 **बुखारी शरीफ २/८७९ ।**

भंवर और भौंह को तरसना या मोचने या धागे वगैरा से नोच कर उनको दूर करना ये जायज़ नहीं। ऐसी औरतें पर लानत आई हैं, और ऐसा करना ख़ल्किल्लाह का मिसदाक-अल्लाह की क़ुदरत बदलने की एक मिसाल है। अलबत्ता आइब्रो बहुत ज़्यादा पहले हुवे हो, और बदनुमा-ख़राब लगती हो, जो एक तरह का ऐब है तो उनको दुरुस्त कर के आम हालात के मुताबिक़ (ना के मुखन्नस-हिजरे की शक्ल के मुताबिक़) कर लेने में मुज़ाइका नहीं।

📘 फ़िक़्ही ज़वाबित बा हवाला अहसानुल फ़तवा।

واللہ اعلم بالصواب

♦ आइब्रो लगाना।

अस्सवाल

➢ आइब्रो -आँखों की पलकों पर रंग लगाना कैसा है ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

पलकों पर रंग लगाने से वुज़ू और गुसल में बालों तक पानी पहुंचने में रुकावट पैदा नहीं होती उस पर लगनेवाले रंग की तेह-कटिंग मलने से निकल जाती हो तो लगा सकते है.

📗 **औरतों के लिए बनाव सिंगार के अहकाम से माखूज़।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ वैक्स लगाने का हुक्म।

अस्सवाल

➢ चेहरे पर वैक्स लगा सकते हैं ?

➢ इस से बाल निकल जाते हैं और चेहरे पर चमक आ जाती है।

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

जी,हां लगा सकते है।

📗 **बनाव सिंघार के अहकाम से माखूज़।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ सफेद बाल चुनना।

अस्सवाल

➢ जवान आदमी के सुफेद बाल हो जाये तो उसे चुनना-तोडना जाइज़ है?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

जवान आदमी के बाल बीमारी या दवाइयों वगैरा की वजह से सुफेद हो गए हो तो ऐब को दूर करने की निय्यत से तोडना जाइज़ है बतौरे ज़ीनत तोडना जाइज़ नहीं।

अबू दावूद शरीफ़ में सुफेद बाल चुन्ने की मुमानियत है उस का जवाब अल्लामा तहतवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये दिया है के अगर सुफेद बाल ज़यादा हो तो तोडना मना है। अगर कम हो तो तोडना ऐब दूर करने के लिए दुरुस्त है।

📗 फ़तवा दारुल उलूम ज़करिया ७/३३१।

नोट: ४० से कम उम्र का शुमार जवान में होता है।

واللہ اعلم بالصواب

♦ औरत के लिए फटे हुवे बालों का काटना।

अस्सवाल

➢ ओरत के सर के बालों की पुँछ ख़राब हो जाये याने फट जाये तो उसे काट सकती है ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

ओरत के लिए बाल बढ़ाने की गरज़ से फटे हुवे बालों को काटने की इजाज़त है, इस में कोई हरज नहीं।

📗 **किताबुल नवाज़िल १५/५२१।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ बालों पर कलर लगवाना और गुसल का हुकम।

अस्सवाल

➢ कया पार्लर से बालों को शौक़िया कलर करवाया जा सकता है?

➢ उस सूरत में गुसल होजायेगा ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

वाज़ेह रहे के ख़वातीन के लिए शोहर की खातिर ज़ीनत इख़्तियार करना पसन्दीदा है और गैर महरमों को दिखाने या दूसरी

ख़वातीन के सामने फ़ख्र व ग़ुरूर की गरज़ से जिनत इख़्तियार करना जाइज़ नहीं है , इसके अलावा शर'ई हुदूद मैं रहने में दीगर ज़रूरत और ख़ुशी के मौक़ों पर ज़ेब व जिनत करना मना नहीं है।

निज जिनत की गरज़ से बालों को रंगना भी जाइज़ है अलबत्ताः खालिस सियाह(ब्लैक) रंग इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है अहादीस इ मुबारका में इस से मना किया गया है और इसी तरह इस निय्यत से बाल रंगना के इस तर्ज़ का आज कल फेशन है या इस गरज़ से के न मेहरम मर्द देखें या दीगर ख़वातीन के सामने फ़ख़र किया जाये जाइज़ नहीं इस से बचना लाज़िम है

लिहाज़ा पूछी हुई सूरत में जाइज़ जिनत के मोकों पर खालिस सियाह रंग के अलावा कोई भी रंग बालों पर लगाना जाइज़ है इस शर्त के साथ के गैर अक़्वाम या फ़ासिक़ औरतों की मुशाबेहत और उनके फेशन के रत्ज़ पर बालों को न रंगवाया जाए,

बाक़ी जहाँ तक कलर लगाने के बाद गुसल और वुज़ू का मसलह है तो अगर कलर ऐसा है जिस की बालों पर अलग से कोई तेह नहीं जमती बल्कि वो सिर्फ बालों का रंग बदलता है तो उस के होते हुवे वुज़ू और गुसल होजाएग, लेकिन अगर कोई कलर ऐसा हो जिस की तेह बालों पर जम जाती हो जो के देखने से मालूम हो

सकता है तो ऐसे कलर के लगाने से वुज़ू और गुसल नहीं होगा और इस लिए ऐसा कलर लगाने की इजाज़त भी नहीं होगी ।

واللہ اعلم بالصواب

♦ बालों को ब्लीच करवाना या निकाल देना।

अस्सवाल

- अ. औरत की चेहरे के बाल ब्लीच कर सकते है यानि इसी क्रीम आती है जिस को कुछ देर लगाने के बाद बाल गोल्डन हो जाते है और चेहरे पर नज़र नहीं आते तो क्या इसे इस्तेमाल कर सकते है ?
- ब. इसी तरह औरत पुरे जिस्म के बाल क्रीम या रेज़र से बिलकुल साफ़ कर सकती है ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

अ. हाँ, ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर सकती है।

ब. हाँ, औरत पुरे जिस्म के बाल (सर और भँवो के अलावह) भी पूछे हुवे तरीक़ा से साफ़ कर सकती है.बल्कि ऐसा करना उन के लिए बेहतर है।

📗 बनाव सिंगार के अहकाम २४,२६,२७।

واللہ اعلم بالصواب

♦ लिपस्टिक लगाना केसा हे।

अस्सवाल

➢ कया औरतों के लिए लिपस्टिक लगाना जाइज़ हे?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

अगर लिपस्टिक में कोई हराम जुज़्व-चीज़ न हो और वुज़ू का पानी जिसम तक पोहचने में रुकावट न बनता हो तो उसका इस्तेमाल जाइज़ हे, अगर कोई हराम जुज़्व उसकी बनावट में शामिल हो तो उसका इस्तेमाल जाइज़ नहीं , अगर हराम जुज़्व तो शामिल न हो, लेकिन होंठ पर ऐसी तह जम जाती हो के वुज़ू का पानी न पोहंच सके तो जिन औरतों पर नमाज़ वाजिब है, उनके लिए लिपस्टिक लगाना जाइज़ नहि, जो औरतें ऐसी हालत में हो के फिल हाल उन पर नमाज़ वाजिब नहीं और नमाज़ वाजिब होने से पहले लिपस्टिक साफ़ हो जाने की उम्मीद हो उनके लिए लगाने की गुंजाईश है। 📗 **किताबुल फतवा।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ बाल बढ़ाने की निय्यत से औरतों का बाल कटवाना।

अस्सवाल

➢ मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं और चोटी आखिर में किनारे पर बाल फट कर दो बाल हो गए हैं, बाज़औरतो ने मशवरा दिया के चोटी के आखिर से बाल काटेगी तो बढ़ना शुरू हो जायेंगे तो क्या बढ़ाने की निय्यत से काट सकती हूँ ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

अगर बाल की इतनी लम्बाई (लेंथ) हो चुकी हैं जितनी हमारे मुआशरा (समाज) में लम्बे बालों में शुमार (गिनती) में आ जाते हैं तो मज़ीद बढ़ाने के लिए काटने की इजाज़त न होगी.

📗 **फतावा रहीमिया १०/१२०।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ न्यू हेयर कलर का हुकम।

अस्सवाल

➢ आजकल बालों के हेयर कलर बाजार में मिल रहे है उस के लगाने का क्या हुक्म है?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

आज कल हेयर कलर क नाम से जो मेहँदी का रंग आ रहा हे उसका हुकम ये हे के जो हेयर कलर बालों को खालिस सियाह (ब्लैक) कर दे , न सिर्फ मकरूह इ तहरीमी हे बल्कि बरु इ हदीस बाईस इ लअनत और ज़न्नत से महरूमी का सबब भी है।

अल बत्ताह , जो हेयर कलर बालों को खालिस सियाह (ब्लैक) नहीं करते बल्कि सियाही माइल बा सुर्ख़ करते हैं उनका इस्तेमाल बगेर कराहत जाएज़ हे ।

वाज़ेह रहे के ये उस हेयर कलर का हुकम हे जिन में कोई हराम चीज़ शामील न हो अगर हराम चीज़ हो तो उनका इस्तेमाल मुतलक़ हराम हे ।(चाहे) बालों को खालिस सियाह करें या न करे।

📗 **माखूज़ अज़ ख़िज़ाब का शर'ई हुकम / फ़तवा दारुल इफ्ता बिन्नोरी टाउन।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ केमिकल की मेहँदी के इस्तिमाल की सूरत में वुज़ू व ग़ुस्ल का हुक्म।

अस्सवाल

➢ केप की मेहँदी लगाने का क्या हुक्म है? केप की मेहँदी ऐसी होती है के जब उसको हाथो पर लगाकर औरतें हाथो को धोती है तो हाथो पर सिर्फ रंग बाक़ी रेह जाता है; मगर ४-५ दिन के बाद इस रंग के ऊपर से पोपडी उतरने लगती है, ऐसी मेहँदी का इस्तिमाल केसा है?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

हर क़िस्म की मेहँदी लगाना जाइज़ है बशर्ते के मेहँदी में कोई नापाक चीज़ मिली हुई न हो, मेहँदी लगाने के बाद वुज़ू और ग़ुस्ल वगैरह का हुक्म ये है के मेहँदी लगाने या रँगने से जो रंग लगा रह जाए उसे वुज़ू और ग़ुस्ल वग़ैरह में खलल नहीं आता,

अलबत्ता अगर जमी हुई मेहँदी-लेप् हाथ पर जमी रह गयी तो उस पर वुज़ू सहीह नहीं होगा, क्यूँकि वह जिस्म पर पानी पहुँचने से रुकावट होती है।

मौजूदह दौर में बाज़ मेहँदी ऐसी है के लगाने के बाद जब हाथ धूलते है तो रंग बाक़ी रहता है। लेकिन बाद में जब रंग उतरने लगता है तो चमड़ी की तरह बारीक़ तेह छिलका बन कर अलग हो जाती है, ऐसी मेहँदी लगाकर वुज़ू करने से वुज़ू हो जाएगा; क्यूँकि वोह जिस्म तक पानी पहुँचने से रुकावट नहीं होती है बशर्ते के नफ़्से मेहँदी को धो कर ख़तम कर लिया हो और सिर्फ रंग बाक़ी रह गया हो।

♦ जामिया उलूमे इस्लामिया के पहले के फ़तवे में है।

अस्सवाल

➢ आज कल बाज़ार में एक मेहँदी आई हुई है, उसको लगाया जाए तो लगाने के १०-१५ मिनट के बाद रंग ले आती है। लेकिन जब ये रंग उतरना शुरू होता है तो आम मेहँदी के रंग की तरह नहीं, यानी मितता नहीं, बल्कि रबर की तरह खाल से जुड़ा होकर गिरता है। अब बाज़ ख़वातीन का कहना है के ये जो उतरता है ये रंग नहीं है, बल्कि जिस्म की खाल है, जो इस (केमिकल मिली हुई) मेहँदी के जल्द असर अंदाज़ होने की वजह से गिरती है, जब के बाज़ ख़वातीन का कहना है के

मेहँदी का रंग है जो मेहँदी लगाने के बाद आ जाता है, खाल नहीं है। अब दरयाफ़्त तलब बात ये है के इस मेंहदी का क्या हुक्म है? उस को इस्तिमाल किया जा सकता है या नहीं? जिस्म से जुदा होने वाली चीज़ को मेहँदी का रंग शुमार किया जाए या जिस्म की खाल? और उस रंग के मौजूद होते हुए और वुज़ू और ग़ुस्ल का क्या हुक्म होगा?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

पूछी हुई सुरत में मज़्कूरह मेंहदी का इस्तिमाल शर'अन जाइज़ है। और इस मेहँदी के रंग के होते हुए वुज़ू और ग़ुस्ल भी हो जाता है। क्यों की उस की ऐसी तेह नहीं होती जो पानी को जिस्म तक न पहुँचने दें। (बल्कि वह बारीक़ तेह- कठिन) जिस्म के साथ चिपक कर चमड़ी के हुक्म में हो जाती है, फिर भी जब भी ग़ुस्ल वुज़ू करे एहतियातन हाथों को रगड कर उसे निकालने की थोड़ी कोशिश करे जितना निकल जाये अच्छा है जो न निकले वह मुआफ है शरी'अत हम को साबुन या कुचे वगैरह चीज़ से घिस कर मेंहदी, ओइल, कलर, फेविकीक, निकालने का मुकल्लफ़ नहीं बनती)

📚**जामिआ उलूमुल इस्लामिआ बिनोरिआ टाउन बा हवाला शामी व आलमगीरी फतवा नंबर १४४०१०२००६१६।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ जाइज़ नाजाइज़ मेहँदी-ख़िज़ाब ।

अस्सवाल

➢ अ. सियाह मेल ख़िज़ाब (बालों में लाइट काली मेहँदी या डार्क ब्राउन मेहँदी जो दूर से काली मालूम हो) लगाने का कया हुक्म है ?

➢ और डार्क काला ख़िज़ाब-मेहँदी लगाना केसा है ?

➢ ब. बिलकुल काला खिज़ाब- मेहँदी औरतें शोहर को खुश रखने लगा सकती है या नहीं ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

अ. ऐसा लाइट काला ख़िज़ाब-मेहँदी लगाना मर्दो और औरतों को जाइज़ है ।

बशर्ते के बालों पर पड-कोटिंग न चढ़ती हो जिस से पानी पहोंच न सके ।

ओर बिकुल काला ख़िज़ाब मेहदी लगाना मरदों को जाइज़ नहीं, ऐसे मर्द जन्नत की खुशबु भी नहीं सुंघ सकेंगे । हालां के वह ५०० साल की दूरी से मह्सूस होगी ।

📗 **दाढ़ी और अँबिया की सुन्नतें सफा ७८ बा हवाला इब्ने माजा व इम्दादुल फ़तवा ४/२०३। 📗 अहसनुल फ़तवा जिल्द ७।**

ब. हां, औरत बिलकुल काला ख़िज़ाब अगर शोहर ख़्वाहिश करे तो शोहर को खुश रखने बतौरे ज़ीनत लगाने की बाज़ उलामा ने गुंजाईश दी है।

बशर्ते अपने आप को जवान ज़ाहिर कर के किसी को धोका देना मक़सूद न हो।

📘 **औरत के लिए बनाव सिंगार के अहकाम सफा ४८। बा हवाला मिरकात शरहे मिश्कात ८/३०४।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ हाथ पर मेहंदी लगाना।

अस्सवाल

➢ हाथ पर महेंदी लगाने का औरतों, मरदों और बच्चों का क्या हुक्म है?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

ओरतों को हाथ और पैर पर महेंदी लगाना सुन्नत है, लेकिन तस्वीर न बनाये।

मरदों को बतौरे ज़ीनत मेहंदी लगाना ना-जाइज़ और मकरूह है।

ना-बालिग बच्चों को भी मेहंदी लगाना जाइज़ नहीं, हाँ, बतौरे इलाज दवाई के तौर पर लगाना जाइज़ है।

📗 **बालों और नाखूनो के मसाइल सफा ४३।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ मेहदी लगाने में अपने मेहरम का नाम हाथ पर लिखने का हुक्म।

अस्सवाल

- क्या मेहदी लगाने में, अपने मेहरम का नाम हाथ पर लिख सकते है?
- उसमे बाज़ दफ़ा क़ुरान पाक की आयत के लफ्ज़ होते हैं...
- मुहम्मद लिखा हुआ होता हे.
- अस्माउल्लाहिल हुस्ना लिखे होते हैं, वह अरबी ज़बान में होते हैं, तो क्या इस तरह लिखना सही है?
- जैस (محمد, عبدالله, عبدالرحمن, معروف اسماعيل) Wagaira?
- या ब्यतुल खला में जाना बे अदाबी में शूमार होगा?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

चाहे कोई भी नाम लिखा हो, अल्फ़ाज़ भी इल्म है, उसका भी अदब है, एक मर्तबह हज़रत मुजादीद अल्फ़े सानी रहमतुल्लाहि अलैह बैतुल ख़ला से चौंक कर निकल गए, इस लिए के उन के हाथ में सैयाही का नुक्ता था, उसे भी इल्म से तालुक़ है।

बैतुल खाला में कुछ भी लिखना मना है। क्यों के इल्म का अदब है, लीहाजा इन मुबारक नामोंको लिखना बतरिएके अवला, खिलाफे अदब होगा, लिहाजा हमे इस तरह करने से बचना चाहिए।

واللہ اعلم بالصواب

♦ बनावटी बाल लगाने का हुक्म।

अस्सवाल

➢ किसी औरत के बाल छोटे हो, या वैसे ही ज़ीनत के लिए अपनी बालों के साथ बनावटी बाल जोड सकती है ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

अगर बाल इंसान और ख़िन्ज़ीर-सुव्वर के न हो, बल्कि आर्टिफीसियल जैसे प्लास्टिक, नायलॉन वग़ैरा या किसी जानवर के हो तो उसे अपने बालों के साथ मिला कर बाल लम्बे करना जाइज़ है।

अगर ख़िन्ज़ीर या किसी इंसान के हो चाहे खुद उसी औरत के हो उसे जोड़ना जाइज़ नहीं।

फतावा दारुल उलूम ज़करिया ७/३४६ से माखूज़।

واللہ اعلم بالصواب

♦ हेयर ट्रांसप्लांट - सर में बाल फिट करने का और उस पर ग़ुस्ल का हुकम।

अस्सवाल

➢ सर में जहाँ बाल ना हो, वहां नई टेक्नोलॉजी हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिये से बाल हमेशा के लिए फिट करवाना कैसा है ? उस से ग़ुस्ल और वज़ू होगा ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

अगर वह बाल इंसान के ना हो, बल्कि ख़िन्ज़ीर (पिग) के अलावह किसी जानवर या आर्टिफीसियल - बनावटी हो, या उसी

आदमी के जिस्म के किसी और हिस्से के हो, और वही अपने बाल सर में ट्रांसप्लांट कराये तो गुंजाईश है।

अगर वो निकलते नहीं बल्कि फिक्स है, तो असल बालों के हुक्म में होकर उसपर ग़ुस्ल और वज़ू हो जाएगा।

🌐 **ऑनलाइन फ़तवा दारुल उलूम देओबन्द, फतवा नंबर ३०९-५०४।**

📗 **मसाइल-ए-ग़ुस्ल से माखूज़।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ बालों का जोड़ा बाँधना।

अस्सवाल

- आज कल औरतें जो मुख़्तलिफ़ तरीके से सर पर जोड़ा बाँधती है, बाज़ सर के ऊपर और पीछे और बाज़ बालों को रुख्सार गालों पर खुला छोड़ देती है।
- कोन सी सुरत जाइज़ और कोन सी सुरत नाजाइज़ है?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلیا

अगर बालों का जोड़ा सर के ऊपर बांधा जाये तो नाजाइज़ है।

हदीस में इस पर सख्त वईद आयी है, ऐसी औरत जन्नत की खुशबु भी सूँघ नहीं पाएगी।

और अगर बालों को जोड़ा सर के पीछे बांधा जाये तो कोई हरज नहीं है।

और बालों को बाँधने और छोड़ने के दूसरे तरीके जाइज़ है बा शर्ते के गैर महरम की निग़ाह न पड़े और कुफ्फार की मुशाबहत न हो।

बालों का सख्त पर्दा है हत्ता के बूढ़ी औरत के बाल देखना भी सख्त हराम है।

📗 अहसनुल फ़तावा ८/७४।

واللہ اعلم بالصواب

♦ मांग निकालने की सुन्नत।

अस्सवाल

- सर में मांग कहाँ से निकालना सुन्नत है ?
- मर्द औरत दोनों के लिए बताने की गुज़ारिश।

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

नाक के मुक़ाबिल दरमियान से मांग निकलना मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत है. दाएं (राईट) या बाएं (लेफ़्ट) मांग निकलना इस्लामी तरीक़ह नहीं है.

दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें सफा ९३। हज़रत मुफ़्ती सईद साहब पालनपुरी डा.ब.। शैखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद

फतावा कास्मियाह २३ /५८५।

واللہ اعلم بالصواب

♦ ब्यूटी पार्लर की कमाई।

अस्सवाल

- ब्यूटी पार्लर की कमाई करना कैसा है ?
- जब के उस में औरतों के बाल भी काटे जाते है ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

ब्यूटी पार्लर में कमाई तो जाइज़ है लेकिन कराहट से खाली नहीं (गुनाहों के कामों का गुनाह होगा) लिहाज़ा बचना चहिये।

(दरसी सवालो जवाब ३२२। बाहवाले

फ़तवा हिंदियाः ४/४५०।

अल बहरूर राइक ८/३६। से माखूज़।

واللہ اعلم بالصواب

♦ लम्बे नाखून का हुक्म।

अस्सवाल

- आज कल बाज़ औरतें और बाज़ इलाक़े में मर्द भी बड़े नाख़ून बतौरे फैशन रखते है।
- इसका शर'ई हुक्म क्या है?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

नाखून हर जुमा को काटना सुन्नत है, हफ्ता नहीं तो दस पन्द्रह दिन में काट लेना चाहिये।

नाखुन काटना इंसानी फितरी तरीक़ों में से है, सफाइ का तक़ाज़ा है, देर में देर ४० दिन के अन्दर अन्दर काट लेना चाहिए। ४० दिन से ज़्यादा ताख़ीर करना मकरूहे तहरीमी है, और नाखून के निचे मेल कुचल होता है, ना काटना सफाई के खिलाफ है, इस से बिमारियाँ भी पैदा होती है।

लम्बे नाखून होना दरिंदों-जानवरों का तरीका है, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, लिहाज़ा दरिन्दों की सिफ़त और मगरिबी तहज़ीब-कल्चर से मुशाबेहत से बचना चाहिये। सीरत ए नबवी से ऐ'राज़-मुंह मोड़ना है लिहाज़ा इस से बचना ज़रूरी है।

ऑन लाइन फतावा दारुल उलूम देवबन्द जवाब नंबर १६०९१२।

واللہ اعلم بالصواب

♦ औरतों के लिए आर्टिफीसियल अंगूठी।

अस्सवाल

- औरत सोने चांदी के अलावह धात की आर्टिफीसियल अंगूठी और ज़ेवर पहन सकती है ?
- और पहन सकते हो तो नमाज़ उस में मकरूह होगी ?

अलजवाब

حامدو مصلیا و مسلما

औरतों को सोने चांदी के अलावा किसी भी धात की अंगूठी पहनना जाइज़ नहीं।

लेकिन आर्टिफीसियल अंगूठी पर अगर सोने या चांदी की पोलिश चढ़ी हुई हो तो जब तक वह पोलिश बाक़ी है अंगूठी पहनने में कोई हरज नहीं।

अलबत्ता अंगूठी के अलावा दूसरे तमाम ज़ेवर सोने चांदी के अलावा धात के - इमिटेशन जेवेलरी -खोटे ज़ेवर पहन सकती है उस में नमाज़ मकरूह भी नहीं है।

फतावा कास्मिया २४/३९५। बाहवाला।

इज़ाहुल मसाइल १३७ ।

📗 दीनी मसाइल ३२२ ।

📕 अहसनुल फतावा ८/७० ।

📚 शामी, हिन्दिया, बडायेआ से माखूज़ ।

واللہ اعلم بالصواب